

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
नई दिल्ली-110016

समयबद्ध  
अतिआवश्यक

एफ.3( ) एल. बी. एस वी./शैक्षणिक 2021-22/ 2845

12/07/2022

कार्यलय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय के सभी विभागों में पंजीकृत विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा लघुशोध प्रबन्ध जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छात्रों को अपना लघुशोध प्रबन्ध तैयार कर मूल्यांकन हेतु शैक्षणिक विभाग में निर्धारित समय अवधि के भीतर जमा करना अनिवार्य था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा M.PHIL./PH.D. लघुशोध प्रबन्ध जमा करने हेतु समय वृद्धि के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 17.05.2022 No.F.1-10/2021 (CPP-II) (संलग्न) के अनुपालन एवं सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार सम्बन्धित पीठ प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं शोध निर्देशकों को प्रायः सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा जारी उपरोक्त सूचना में प्रदत्त प्रक्रिया को संपन्न कर शोधार्थी का लघुशोध प्रबन्ध निर्धारित समय अवधि में शैक्षणिक विभाग को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में विभाग एवं छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

Covid-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लघुशोध प्रबन्ध जमा करने हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त समयवृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी थी परन्तु विशिष्टाचार्य कक्षा के सभी छात्रों द्वारा अपना लघुशोध प्रबन्ध अभी तक कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है। अभिलेखा अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विशिष्टाचार्य कक्षा में पंजीकृत जिन छात्रों द्वारा अभी तक अपना लघुशोध प्रबन्ध जमा नहीं करवाया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम. संख्या	शोधार्थी का नाम	विभाग	सम्बन्धित शोध निर्देशक
1	धर्मेन्द्र बहुगुणा	नव्य व्याकरण	डॉ दयाल सिंह

A

2	प्रीती शर्मा	नव्य व्याकरण	प्रो. सुजाता त्रिपाठी
3	अजीत कुमार	धर्मशास्त्र	डॉ. हिमांशु शेखर त्रिपाठी
4	पूजा थापा	फलित ज्योतिष	प्रो. नीलम ठगोला
5	आकाश	वास्तुशास्त्र	डॉ. प्रवेश व्यास
6	आदित्य कुमार	वास्तुशास्त्र	डॉ. दीपक वशिष्ट
7	आनन्दमोहन सिंह	विशिष्टाद्वैत वेदांत	सुदर्शन एस.
8	ललित	विशिष्टाद्वैत वेदांत	प्रो. के अनन्ता
9	सूरज तिवारी	सर्वदर्शन	प्रो. संगीता खन्ना
10	रन्जू यादव	साहित्य	प्रो. सुमन कुमार झा
11	अंकित	साहित्य	प्रो. सुमन कुमार झा
12	विनय पचौरी	साहित्य	डॉ. अरविन्द कुमार
13	सागरिका पुरोहित	साहित्य	प्रो. भागीरथी नन्द
14	उमा	साहित्य	डॉ. अरविन्द कुमार
15	चन्द्र प्रकाश	साहित्य	प्रो. सुखदेव भोई
16	दीपक भट्ट	साहित्य	डॉ. अनमोल शर्मा
17	विनीता	साहित्य	डॉ. धर्मानन्द राउत
18	पूनम देवी	साहित्य	प्रो. भागीरथी नन्द

*A*

19	चंचल	साहित्य	डॉ धर्मानन्द राउत
20	गोपेश प्रसाद भरद्वाज	पुराणेतिहास	प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ला
21	विश्व प्रताप सिंह	प्राकृत	प्रो. कल्पना सिंह
22	मुन्ना कुमार झा	मीमांसा	प्रो. ए.एस. अरावामुदन

नियमानुसार लघुशोध प्रबन्ध जमा न करने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र का पंजीकरण निरस्त माना जाएगा।


संलग्न: आयोग द्वारा जारी सूचना

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सम्बन्धित पीठ-प्रमुख, विभागाध्यक्ष, शोध-निर्देशक
2. विभागाध्यक्ष, शोध-विभाग
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक विभाग)
4. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं कुलानुशासक
5. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, संगणक विभाग (सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. सूचना पट्ट
7. संबन्धित पंजिका
8. कार्यालय आदेश पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)



सचिव

Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in


No.F.1-10/2021 (CPP-II)

17<sup>th</sup> May, 2022

PUBLIC NOTICE

Extension of date for submission of thesis for terminal M.Phil/Ph.D students

In continuation of UGC Public Notice dated 1<sup>st</sup> December, 2021 on the above mentioned subject, and keeping in view the larger interest of the research scholars, it has been decided by the UGC that an extension of up to six months, beyond 30<sup>th</sup> June, 2022, may be given to the students by their respective Higher Educational Institutions, on case-to-case basis based on the review of student's work by the Research Advisory Committee and on the recommendation of the supervisor and the Head of the Department of each individual case. Such extension may also be granted for submitting evidence of publication and presentation in two Conferences. However, tenure of fellowship will remain up to five years only.

  
(P.K.Thakur)